

प्रपत्र:-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) केम्प: ~~अमल मेला केम्प ग्रा.प.~~  
~~निम्नलिखित~~ प्रकरण सं:-08/18

क्रमांक:-लो.अदा./2018/

920

दिनांक:-07.5.18

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ~~निम्नलिखित~~ व भू.अ.नि. ~~होड्डू~~ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/~~सिणधरी~~ सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम...~~निम्नलिखित~~...तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत 2071-74 में खाता संख्या में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	निम्नलिखित तहसील सिणधरी	81	<del>107</del> 107 108 कुल खसरा 77-18 कीघा	रामा कलद दूदा	रमेश पुत्र दूदाराम शेष वदूस्तर



क्रमांक:-लो.अदा./2018/ 921-23

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी  
दिनांक:-07.5.18

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।

2. प्रार्थी श्री...~~रमेश पुत्र दूदाराम~~...को सूचनार्थ।

3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी